निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 27 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, दुगड्डा, पौड़ी गड़वाल, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, दुगड्डा, पौड़ी गड़वाल के माह 08/2016 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 06/07/2018 से 13/07/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भीमसेन सिंह व श्री मनोज खंडुरी सहायक लेखापरीक्षा/पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा दिनांक 03/09/2016 से 12/09/16 तक श्री ....वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 5/2013 से 07/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2016 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यह की निर्माण कार्य के रूप मे सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, जिला पौड़ी गड़वाल, क्षेत्र , उत्तराखंड ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-2016	-	-	650.25	651.02	518.10	514.71	(-)0.77	3.39
2016-2017	-	-	1763.51	1722.17	548.65	499.46	41.34	49.19
2017-2018	-	-	871.44	774.82	520.57	519.56	96.62	1.01

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम (नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	AIBP	-	73.27	74.37	(-)1.10
2016-17		-			
2017-18		-			

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत , राज्य सरकार है ।

(iv) श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्तर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है। इकाई की श्रेणी “B” है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव , सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र स्तर -2, मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संस्थान कलागढ़,मुख्य अभियंता परियोजना गढ़वाल यमुना कालोनी देहारादून, मुख्य अभियंता परिकल्प रुड़की ।

(4) अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर पौड़ी (5) अधिशासी अभियंता (6) साहयक अभियंता

(7) कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) साहयक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान साहयक ,(7) वरिष्ठ साहयक, (8) कनिष्क साहयक ।

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता सिचाई खंड दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल को (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता सिचाई खंड दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल, (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एव 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया ।

(vii) ....का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .... “व्यय के आधार पर के आधार पर किया गया।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 21/03/17 से 22/3/17 तक निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2018 तथा 09/2017 तक की गई।

5. फार्म 51: माह 05/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम ` 3868704.00

   भाग द्वितीय ` 590569.00

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 05/2018 के अन्त में (धनराशि रु मे)

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 1972818

   (ख) सामग्री क्रय शून्य

   (ग) नगद परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप ` 34311764

   (ङ) भण्डार (-) ` 1200681

भाग दो (अ)

प्रस्तर सं.1 रू0 19.96 लाख का संविदाकारों को जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के विपरीत एस0जी0एस0टी0 एवं सी0जी0एस0टी0 का अधिक भुगतान किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17–27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रक्रिया **संबन्धित** दिशा–निर्देश मे case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाईस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 2 की उप धारा 119 में " work contract" means a contract for building construction, Fabrication, completion, errection, installation, fittingout, improvement, modification, repair maintence, renovation, alteration or commissioning of any immovable property wherein transfer of property in goods (whether as goods or in same other form) is involved in the execution of such contract का कार्य करने वाले संविदाकारों को भी डीलर (व्यौहारी) माना गया है, इसलिये प्रत्येक डीलर जिसका कारोबार उत्तराखण्ड में रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष है, उसे माल एवं सेंवाकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है तथा प्रत्येक पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी को अधिनियिम की धारा 31 के अनुसार बिक्री किये गये माल एवं सेवा की टैक्स इन्वाइस निर्धारित प्रारूप में जारी करना अनिवार्य है।

Government of India/State
Department of ………………

Form GST INV – 1
(See Rule ………)
Application for Electronic Reference Number of an Invoice

1. GSTIN
2. Name
3. Address
4. Serial No. of Invoice
5. Date of Invoice

Details of Receiver (Billed to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Details of Consignee (Shipped to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Sr. No.	Description of Goods	HSN	Qty.	Unit	Rate (per item)	Total	Discount	Taxable value	CGST		SGST		IGST	
									Rate	Amt.	Rate	Amt.	Rate	Amt.
	Freight													
	Insurance													
	Packing and Forwarding Charges													
		Total												
	Total Invoice Value (In figure)													
	Total Invoice Value (In Words)													
	Amount of Tax subject to Reverse Charges													

तथा जारी (Tax Invoice) बिक्री के बिलों पर अलग से बिल की धनराशि के साथ सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 कर की मांग अलग से प्रदर्शित करनी होगी, तभी उनकों अलग से देय कर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 धनराशि के भुगतान पर किया जा सकता था, अन्यथा अलग से कर का भुगतान नही किया जा सकता। अधिनियम की धारा 122(1) की उप धारा (i) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी किसी बीजक के जारी किए बिना, किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है, या ऐसा किसी पूर्ति के लिये झूठा या गलत बीजक जारी करता है तो वह अपराध करता है। या धारा 122 (3) (ड) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है, या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिऐ कैफियत देने में असमर्थ रहता है, या धारा 132 (1) की उप धारा (क) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना ही किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर अपवंचन के आशय से करता है, तो ऐसी शास्ति के लिये देयी होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड दुग्गडा की लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदी विभाग के द्वारा माह 4/2018 तक में संविदाकार से बिना टैक्स इनवाइस प्राप्त किये ही कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान तथा (रू0 18,45,367.00 जी0एस0टी0 कर की धनराशि का अतरिक्त भुगतान) किया गया था। जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिऐ था, साथ ही संविदाकारों को भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों में यह भी पाया गया कि सभी संविदाकार केवल वैट में ही रजिस्टर्ड थें,जबकि प्रावद्यानों के अनुसार उनकों सी0जी0एस0टी में भी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य था, तभी उनकों जी0एस0टी0 कर का भुगतान किया जा सकता था, यदि उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिल प्रस्तुत कर अलग से जी0एस0टी0 कर की मॉग की गई होती तो ही अन्यथा नही। संविदकार के द्वारा ना तो अलग से शिड्युल बी में जी0एस0टी0 कर की अलग से मॉग की गयी थी, और ना ही उसनें द्वारा अपनी टैक्स इन्वाइस जारी कर अलग से जी0एस0टी0 कर की **मांग** की गयी थी। फिर भी विभाग के द्वारा संविदाकारो को टैक्स धनराशि का अलग से भुगतान रू0 19,95,583.00 किया गया था, जोकि वस्तु एंव सेवाकर अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्रावद्यानों एवं शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 में उल्लिखित शर्तो के विरूद्व था। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट होता है, कि रजिस्टर्ड ब्यौहारी संविदाकर की मंशा ही कर अपवंचन करने की थी, इसलिये उसके द्वारा सी0जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावद्यानो का पालन सुनिश्चित किये बिना ही संविदी विभाग से कार्य संविदा की धनराशि एवं अलग से 12 प्रतिशत कर जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान प्राप्त किया गया था। इसलिये माल एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 एवं नियमो के विरूद्व संविदाकारो को भुगतान की गयी संविदा एवं कर की धनराशि वसूली योग्य है। तथा उस पर धारा 122 (1) का (i),(xv) एवं अधिनियम की धारा 132(1) (क) के अनुसार अपराध एवं शास्ति के प्रावद्यान भी लागू होगे।

उपरोक्त के संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग लेखा पद्वति में संविदाकारों के द्वारा कार्य संविदा से सम्बन्धित टैक्स इन्वाइस बिल प्रस्तुत नही किया जाता है, अपितु F.H.B.Vol.6 तथा लोक निर्माण संहिता के अनुसार ठेकेदार की इन्वाईस/बिल/देयक सुंसगत प्रपत्रों पर कर कार्य के आधार पर भुगतान किया जाता है,जिसमें ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य की माप व दरें अंकित होती है व देयक इन्वाइस बिल ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित होता है, जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 शिड्युल ।। को बिन्दु सं0 6 में उल्लिखित सेवाओं पर उक्त एक्ट की धारा 7 के अनुसार समय–समय पर CBDT के द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में 12 प्रतिशत) के आधार पर किया गया है। संविदाकरों को जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत सभी भुगतान किये गये है,तथापि अधिक भुगतान का प्रकरण यदि कोई प्रकाश में आता है तो उसकी वसूली संविदाकर्ता की धरोहर राशि अथवा भू–राजस्व के अन्तर्गत सुनिश्चित की जायेगी।

विभाग का उत्तर स्वीकार योग्य नही है, क्योकि विभाग को जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्रावद्यानों की जानकारी थी, फिर भी संविदाकारों को कुल रू0 19,95,583.00 की धनराशि का भुगतान शासना देश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 में दिये गये निर्देशो एवं

जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्रावद्यानों के विरूद्व किया गया है। विभाग की लापरवाही के कारण उन सभी संविदाकारों को जोकि वस्तु एवं सेवाकर में रजिस्टर्ड भी नही थे तथा जिनके द्वारा दी गयी निविदा दरों शिड्युल बी में भी कार्य की दी गयी दरों में अलग से 12 प्रतिशत जी0सी0टी0 की मॉग भी नही की गयी थी,उन सभी संविदाकारों को कार्य संविदा की धनराशि के अतिरिक्त अलग से 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 कर की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया था, जोकि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर विधेयक 2017 में उल्लिखित प्रावद्यानों के विरूद्व था, जिसकी वसूली सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-1 अपूर्ण योजना पर धनराशि ` 295.33 लाख के लंबित दायित्व ।

शासनादेश संख्या: 3859/11-2014-04(04)/2011 दिनांक: 24/01/2014 द्वारा केंद्र सहायतित योजना ए.आई.बी.पी./ई.आर.एम. के अंतर्गत जनपद- पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकास खण्ड में मालन नहर प्रणाली के विस्तारीकरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की ` 1140.22 लाख की योजना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिस पर प्राक्कलित धनराशि ` 1140.22 लाख की तकनीकी स्वीकृति 03/2014 में मुख्य अभियन्ता, (गढ़वाल) द्वारा प्रदान की गयी थी। ए.आई.बी.पी. की modified Guideline अक्टूबर 2013 के अनुसार योजना लागत का 55% अंश राज्य सरकार व 45% अंश केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

सिचाई खण्ड, दुगड्डा के अभिलेखों की जांच में प्रकाश में आया कि योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि ` 1140.22 लाख में से ` 627.12 लाख का व्यय राज्य सरकार एवं ` 513.10 लाख का व्यय भारत सरकार द्वारा किया जाना था। जुलाई 2015 तक राज्य सरकार द्वारा राज्यान्श कि शत प्रतिशत धनराशि (जनवरी 2014 में ` 570.11 लाख व जुलाई 2015 में ` 57.01 लाख) अवमुक्त कर दी गयी थी जिसका पूर्व उपभोग अगस्त 2015 तक खण्ड द्वारा कर लिया गया था। मार्च 2018 तक खण्ड द्वारा योजना पर कुल ` 925.82 लाख का व्यय किया गया था जिसमें से ` 295.33 लाख के भुगतान लंबित थे व योजना की भौतिक प्रगति 90% थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 से योजनन्तर्गत समस्त कार्य धनाभाव के कारण बंद थे। अभिलेखों की जांच के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि भारत सरकार के पत्रांक: 22(44)/2/2012-WR दिनांक: 25/03/2013 द्वारा योजना की Investment Clearance दी गयी थी जिसके अंतर्गत योजना को मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना था किन्तु तददितिथि तक योजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं थी क्योंकि केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा ए.आई.बी.पी. की अक्टूबर 2013 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना का पूर्ण प्रस्ताव भेजे जाने का अनुरोध एच.ओ.डी., सिचाई विभाग से पत्रांक संख्या: 6/31/2013- Mon-Dte/Agra/200-D1 दिनांक: 10/03/2015 द्वारा किया गया था जिसकी प्रति खण्ड को भी प्रेषित थी, बावजूद इसके खण्ड द्वारा योजना पर प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय किया गया एवं धनराशि ` 295.33 लाख के दायित्वों का अनावश्यक अर्जन किया गया। परिणाम स्वरूप ठेकेदारों के भुगतान लम्बी अवधि से धनाभाव के कारण लंबित थे।

दायित्वों के अनावश्यक अर्जन के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि देनदारियों/दायित्वों के भुगतान हेतु उच्चाधिकारियों से समय-समय पर पत्राचार किया जा रहा है। दायित्वों के अर्जन के सम्बन्ध में खण्ड द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

अत: प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग -2 ब

प्रस्तर:- 2 मूल वेतन रु 43462 एवं इस पर देय भत्तो का अधिक भुगतान ।

गलत वेतन निर्धारण के कारण मूल वेतन रू0 43462 तथा उस पर देय अन्य भत्तों का अधिक भुगतान शासनादेश संख्या 872/XXVII (7)/2011, दिनांक 08.03.2011 के संलग्नक–02 के अनुसार यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतन वृद्वि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतन वृद्वि अगले वर्ष की पहली जनवरी को देय होगी। कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड दुगड्डा में पदस्थापित कर्मचारियों के सेवा–पुस्तिका के लेखापरीक्षा के कम में पाया गया कि श्रीमती मनोरमा गुसांई रनर, को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन PB रू0 5200–20200 GP रू0 2000, पुनः GP 2400 में दिनांक 01.09.2008 को वेतन निर्धारित कर अगली वेतन वृद्वि दिनांक 01.01.2009 को दी गई, जबकि वार्षिक वेतन वृद्वि उपरोक्त वर्णित आदेश के आलोक में दिनांक 01.07.2009 को देय थी। कार्यालय द्वारा दी गयी वेतन वृद्वि निम्न हैः–

दिनांक 01.09.2008 को निर्धारित वेतन (7260+2400) 9660.00 अगली वेतन वृद्वि की तिथि दिनांक 01.07. 2009 दिया गया वेतन वृद्वि की तिथि दिनांक 01.01.2009

अवधि	देय वेतन	दिया गया वेतन	अन्तर राशि	कुल अधिक दिया गया वेतन
01.01.09 से 30.06.09	7260+2400= **9660**	7550+2400= **9950**	290X6	1740
01.01.10 से 30.06.10	7550+2400= **9950**	7850+2400= **10250**	300X6	1800
01.01.11 से 30.06.11	7850+2400= **10250**	8160+2400= **10560**	310X6	1860
01.01.12 से 30.06.12	8160+2400= **10560**	8480+2400= **10880**	320X6	1920
01.01.13 से 30.06.13	8480+2400= **10880**	8810+2400= **11210**	330X6	1980
01.01.14 से 30.06.14	8810+2400= **11210**	9150+2400= **11550**	340X6	2040
01.01.15 से 31.03.15	9150+2400= **11550**	9500+2400= **11900**	350X3	1050
01.04.15 से 24.04.15	**@ 11550 9940**	**@ 11900 9520**	280	280
25.04.15 से 30.04.15	**@ 12300 2460**	**@ 12660 2532**	72	72

01.05.15 से 30.06.15	9500+2800= **12300**	9860+2800= **12660**	360X2	720
01.01.16 से 31.12.16 7वें वेतन आयोग लेवल 05 के अनुसार	32900	33900	1000X12	12000
01.01.17 से 31.12.17	33900	34900	1000X12	12000
01.01.18 से 30.06.18	34900	35900	1000X6	6000
			योग	43462

इस प्रकार मूल वेतन रू0 43462 तथा उस पर देय अन्य भत्तों का अधिक भुगतान के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय ने अपने उत्तर मे बताया कि वसूली की कार्यवाही की जाएगी। अत: मूल वेतन रु 43462 एव इस पर देय भत्तो का अधिक भुगतान का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर -1 रु 19.72 लाख विविध अग्रिम, रु 12.00 लाख स्टाक धनराशियों का समायोजन लंबित रहना ।

(क) वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार विविध अग्रिम को निम्न चार श्रेणियों मे विभाजित किया गया है (1) उधार विक्रय (2) डिपॉजिट मद मे प्राप्त राशि से अधिक व्यय (3) हानि ,त्रुटि के कारण हानि,आदि (4) अन्य मद मे ,किसी भी प्रकार से शासकीय हानि ,इन सभी प्रकरणो मे अधिकारियों /कर्मचारियो /फर्मो/ठेकेदारो /अन्य विभागो के विरुद्ध विविध अग्रिम डाला जाता है एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदो मे विविध अग्रिम की धनराशि की वास्तविक वसूली की जानी चाहिए या किसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा मे सक्षम अधिकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते मे न डाला जाए तब तक विविध अग्रिम लेखे से न हटाया जाए । कार्यालय के लेखा अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि विवरण मासिक लेखा माह 6/2018 के अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध विविध अग्रिम अन्य मद, फर्मो/ ठेकेदारों के विरुद्ध विविध अग्रिम की धनराशि रु 19,72,818 लम्बी अवधि से वसूली हेतु लंबित है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि वसूली हेतु पत्राचार/कार्यवाही की जा रही है वसूली होने पर महालेखाकार कार्यालय को सूचित कर दिया जाएगा । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि वसूली लंबी अवधि से लंबित थी अग्रिम पंजिका को अध्यतन नहीं किया गया था

(ख) स्टाक पंजिका वर्ष /माह 6/18 मे एवं मासिक लेखा माह 6/2018 मे स्टाक अवशेष के रूप मे स्टाक रु (-) 12,00,681.00 की सामग्री का प्रकरण लंबे समय से पड़ा है ,खंड स्तर पर समायोजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ,यह धनराशि/सामग्री किन कारणो से (-) अवशेष है इस संबंध मे इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया की समायोजन की कार्यवाही गतिमान एवं जिन अभियंताओ के कारण भिन्नता चल रही है उनका स्थानान्तरण उत्तर प्रदेश में हो चुका है ।

उपरोक्त दोनों प्रकरणो मे विभाग द्वारा समायोजन करने की कार्यवाही के लिए स्वीकार किया गया है परंतु कार्यवाही की गति अत्यन्त धीमी है ।

अत: रु 19.72 लाख विविध अग्रिम की वसूली एवं रु 12.00 लाख स्टाक धनराशियों का समायोजन लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
58/2004-5	1,2	-
54/2005-06	1a ,b	1,
70/2006-07	-	1,
49/2008-09	1	-
08/2009-10	-	1,2,3
34/2010-11	1,2,	-
18/2013-14	-	1
55/2016-17	-	1,2
योग	**6**	**8**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			विगत लेखापरीक्षा से संबन्धित उपरोक्त सभी प्रस्तरो की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है।	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

“शून्य”

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु ... अधिशासी अभियंता सिचाई खंड दुगड्डा पौड़ी गड़वाल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री कमल सिंह	अधिशासी अभियंता
(ii)	श्री अजय कुमार	अधिशासी अभियंता
(iii)	श्री सुनील कुमार	अधिशासी अभियंता
(iv)	श्री सुधीर मोहन	अधिशासी अभियंता

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

   (1) श्री बलदेवराम

   (2) श्री संदीप सिंह बिष्ट

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता सिचाई खंड दुगड्डा ,पौड़ी गड़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून, कौलागढ़, पिन-248195 को प्रेषित की जाए ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र-2